वित्तीय स्वीकृति

संख्या-12/2018/697/एक-5-2018-60/2018

प्रेषक,

किंजल सिंह ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, उ0प्र0

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2018

विषयः- जनपद मुरादाबाद में शिविर कार्यालय पर चाहर दीवारी के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2405/12-भवन-9/2017 दि0 07/03/2018, पत्र सं0-2650/12-भवन-09/2017 दि0 15/03/2018 एवं पत्र सं0-2946/12-भवन-09/2017 दि0 31/03/2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुरादाबाद में शिविर कार्यालय पर चाहर दीवारी के निर्माण कार्य की लागत रू0 8.00 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0-8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी, जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(11) कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारित करते हुए उससे प्रप्त होने वाली धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(12) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिए गए निर्देशों के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरांत यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-03-आवासीय भवन-0301-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किंजल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/697(1)/एक-5-2018-60/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।

6- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग /सम्बन्धित अधिशासी अभियंता।

7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।